# CULTURAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES.

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Seychelles (hereinafter referred to as the Contracting Parties).

INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

<u>DESTROUS OF</u> promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Seychelles in the fields of art, culture, archaeology, education, including academic activity in the fields of science and technology, social welfare, public health, mass media and sports etc.

HAVE AGREED as follows:-

### ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, archaeology, education including academic activity in the fields of science and technology, social welfare, medical research and public health, mass media of information and education, sports and games in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

#### ARTICLE 2

Each Contracting Party may establish, in the territory of the other, cultural institutions in accordance with laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any such institution is established. The details regarding the establishment of such institutions shall be settled between the two countries by means of an additional protocol to be negotiated after this agreement enters into force.

#### ARTICLE 3

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:-

- reciprocal visits of professors and experts for lectures, study tours and special courses;
- b) reciprocal visits of representatives of educational literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists' associations and organisations; and
- c) participation in congresses, conferences, symposia and seminars.

#### ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:-

- a) exchanges in the field of art and culture and in the field of mass media such as films, documentaries, radio and television;
- exchange of materials in the fields of science, education,
   sports, archaeology; and
- c) translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications and wherever possible, exchange of copies of art objects.

#### ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other seeking to study in its institutions of higher education and research laborartories as well as to follow practical training courses.

#### ARTICLE 6

The Contracting Parties shall examine the diplomas, certificates, university degrees granted by the other party with a view to determining their equivalence.

#### ARTICLE 7

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and Programmes.

#### ARTICLE 8

The Contracting Parties shall facilitate and promote:-

- a) exchange of artists, dance and music ensembles;
- b) exchange of art and other exhibitions; and
- c) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

#### ARTICLE 9

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate subject to the national laws and regulations in force, their stay and movement in their respective territories.

#### ARTICLE 10

The Contracting Parties shall, to the extent possible ensure that text-books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

### ARTICLE 11

Each Contracting Party shall facilitate, in accordance with its respective laws, the importation, for non-commercial purposes, and circulation of all material originating from the other party, that may be necessary for the fulfilment of the objectives of this Agreement.

#### ARTICLE 12

For the implementation of the objectives of the present Agreement a Joint Committee shall be established by the Contracting Parties as and when considered necessary, consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet, as agreed upon between the Contracting Parties or at the request of either of them, alternatively in New Delhi and Mahe at least once in two years.

The Joint Committee will be responsible for:-

- a) Reviewing periodically the implementation of the Agreement in the two countries;
- b) advising the Government concerned on the modalities of implementation;
- formulating cultural, scientific, technological and educational exchange programmes, and reviewing the same;
- d) recommending to the Party concerned any item of interest to either party in the fields within the scope of the Agreement; and
- e) generally advising the Government concerned as to the manner in which the provisions of this Agreement may be implemented effectively.

The present Agreement shall come into force on the date of exchange of the Instruments of Ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each time unless either Contracting Party gives to the other Party a six months' prior written notice of its intention to terminate it.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives being duly authorised thereto by their Governments, have signed the present Agreement and have affixed their seals.

Done at New Delhi on this first day of Pausa, One thousand nine hundred and nine (Saka), corresponding to Twenty second day of December, One thousand nine hundred and eighty seven in four originals, two each in Hindi and English languages, all the texts being equally authentic, except in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Krishe Sali

(KRISHNA SAHI)
MINISTER OF STATE

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES

(JAMES MICHEL)
MINISTER OF EDUCATION,
INFORMATION AND YOUTH

भारत गणराज्य की तरकार और तेशल्त गणराज्य की तरकार के बीच तांस्कृतिक तहयोग करार

भारत गणराज्य की सरकार और तेशल्स गणराज्य की सरकार § इसके बाद इन्हें संविदाकारी पक्षकार कहा जाएगा §,

घनिष्ठतर साँस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित और विकसित करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, तथा

विज्ञान और प्रौदो गिकी, समाज- कल्याण, जन स्वास्थ्य, जन-संचार और खेल के विषयों में शैक्षिक कार्यकलाप सहित कला, संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और सेशल्स के बीच सम्बन्धों और सदभावना को हर संभव तरी के से प्रोत्साहित और विकसित करने की इच्छा से,

निम्न प्रकार सहमत हुई हैं:

### अनुच्छेद- ।

संविदाकारी पक्षकार अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज-कल्याण चिकित्सा अनुसंधान और जन स्वास्थ्य, सूचना और शिक्षा के जन- संचार माध्यम खेल- कूद के विष्यों में शिक्षक कार्यकलाप सहित कला और संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनारी तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी- अपनी संस्कृति और कार्यकलापों की बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें।

### अनुच्छेद- 2

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार के क्षेत्र में इस आश्रय के कानूनों, विनियमों और सामान्य नी ति के अनुसार सांस्कृतिक संस्थान स्थापित कर सकता है; यह समझा जाता है कि सम्बन्धित सरकार की पूर्व अनुमति किसी भी ऐसी संस्था के स्थापित होने से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी ब्यौरे

दोनों देशों के बीच एक अतिरिक्त नयाचार के माध्यम से तय किए जायेंगे। इस करार के लागू होने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी।

### अनुच्छेद- उ

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंग और सुकर बनाएंगे:-

- १क इं व्याख्यान देने, अध्ययन दौरों और विशेष पाठ्यकृमों के लिए प्रोफेसरों और विशेषक्षों के पारस्परिक दौरे ;
- शैख
   शैकिक, साहित्यक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, खेल
   और पत्रकार संघो तथा संगठनों के प्रतिनिधियों के
   पारस्परिक दौरे ; और
- §ग
  §

  कागृस, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और समिनारों में
  भाग लेना ।

### अनुच्छेद- 4

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएंगे :-

- §क
  § कला और संस्कृति के क्षेत्र में तथा फिल्मों, वृत्तिचित्रों,
  रेडियो तथा टेली विजन जैसे जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र
  में आदान- प्रदान ;
- १ुंख र्विज्ञान, शिक्षा, खेल, पुरातत्व के क्षेत्र में सामग्रियों का आदान—पदान ;तथा
- शूग पुरतकों, पत्रिकाओं तथा अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी,
   सांस्कृतिक और खेल प्रकाशनों का अनुवाद तथा आदान-प्रदान
   और जहां संभव हो कलाकृतियों का आदान- प्रदान।

### अनुच्छेद- 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी उच्च शिक्षा की संस्थाओं और

अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन करने के इच्छुक दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को सुविधाएं तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उनकी सहभागिता के लिए प्रयास करेगा।

### अनुच्छेद-6

संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा प्रमाण-पत्रों तथा विश्वविद्यालय डिग्नियों की जांच उनमें समकक्षता निर्धारित करने की दूषिट से करेंगे।

## अनुच्छेद- 7

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार रेडियो, टेली विजन और प्रेस के माध्यम से दूसरे पक्षकार के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा । इसे ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्रियों और कार्यक्रमों का आदान- प्रदान करेंगे ।

### अनुच्छेद- ८

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को सुकर बनाएँग तथा प्रोत्साहित करेंग :-

- १०१ कलाकारो तथा नृत्य एवं संगीत मण्डलियों का आदान-प्रदान ;
- १ंख१ं कला एवं अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ; तथा
- १ग१ चलचित्रकला के क्षेत्र में विशेषक्की का आदान-प्रदान और एक दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवी में सहभागिता।

### अनुच्छेद-१

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल टीमों की यात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रभावी राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के

..../-

अनुसार अपने— अपने क्षेत्रों में उनके प्रवास और गति विधियों को सुकर बनाएंग ।

### अनुच्छेद -10

संविदाकारी पक्षकार, यथासम्भव सुनिध्यत करेंग कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, विशेष रूप से इतिहास और भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में एक दूसरे देश के बारे में तथ्यों से संबंधित कोई त्रृटि अथवा मिथ्या वर्णन न हो ।

### अनुच्छेद-।।

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार इस करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथा अपेक्षित अन्य पक्षकार से उद्भूत समस्त सामग्री के आयातीकरण को गैर- व्यावसायिक प्रयोजनों तथा परिचालन के लिए अपने- अपने कानूनों के अनुसार सुकर बनाएंगे।

### अनुच्छेद-। 2

वर्तमान करार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक समझा जाएगा, संविदाकारी पक्षकारों दारा एक संयुक्त समिति स्थापित की जाएगी जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी बैठक दोनों संविदाकारी पक्षकारों की सहमति से अथवा उनमें से किसी एक के भी अनुरोध पर दो वर्ष में कम से कम एक बार बारी-बारी से नई दिल्ली और माहे में होगी।

> संयुक्त समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-१क १ दोनों देशों में करार के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना .

१ष कार्यान्वयन की रूपात्मकताओं पर सम्बन्धित सरकार को संलाह देना :

- श्रेष्ठ सांस्कृतिक, वैद्यानिक, प्रौद्योगिकी और शैक्षिक आदानप्रदान के कार्यक्रमों को तैयार करना तथा उनकी समीक्षा

   करना ;
- §घ
  §

  करार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों में किसी भी पक्षकार

  के हित के किसी विषय के बारे में सम्बन्धित पद्यकार

  को सिफारिश करना ; तथा
- ईड. } सामान्यतः सम्बन्धित सरकार को इस प्रकार की सनाह
  देना जिनसे इस करार के उपबन्धों को प्रभावी ढंग से
  कार्यान्वित किया जा सके।

वर्तमान करार अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान- प्रदान की तारी से प्रभावी होगा। यह पाँच वर्ष की अविधि के लिए प्रभावी रहेगा और उसके बार हर बार अगले पाँच वर्षों के लिए तब तक उसका स्वतः नवीकरण हो जाएगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा के बारे में लिखित रूप से छः माह पहले न बता दे।

जिसके साक्ष्य में अधोहरताक्षरकर्ता प्रतिनिधियों ने अपनी -अपनी सरकारों दारा विधिवत प्राधिकृत किए जाने पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अपनी - अपनी मोहरें लगाई हैं। नई दिल्ली में, एक हजार नौ सौ नौ १ शक १ के पौष्प माह के प्रथम दिन तदनुसार एक हजार नौ सौ सतासी १ई०स० १ के दिसम्बर माह के बाईस वें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया। सभी पाठ प्रामाणिक होंगे। सन्देह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

मुखान सारी

कृष्णा साही 
 कृष्णा साही 
 कृष्णा संस्कृति
 राज्य मंत्री

तेशल्स गणराज्य की सरकार की और ते

§ जम्स मिश्रेल §

शिक्षा, सूचना तथा युवा मंत्री